

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 2(2)साप्र/2/21

जयपुर, दिनांक : 02/12/2021

— आदेश :-

श्रीमती गीता चौधरी, अपर जिला एवं सेवन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय क्रम सं 4, जयपुर, जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2041 है, को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमाक प.1(77)साप्र/2/55 दिनांक 05.09.2005 के प्रावधान अन्तर्गत उनके निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या ग-60 एवीएस गार्डीनर, जयपुर का एतद्वारा निशुल्क आवंटन किया जाता है:-

शर्तेः

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से ५ दिनसे दे लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्युच्चत होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

टू०

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. मनुष शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
4. संतुक्त सचिव (जीवी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
5. अपर जिला एवं सेवन न्यायाधीश, जयपुर नहरनार द्वितीय क्रम सं 4, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के घरन से नियमानुसार राजकीय आवास किरण्य कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किरण्य बस्तुली कर राजकीय सुनिश्चित करावे।
7. कोषधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की नेब साईट पर अपलोड करने का आग्रह करावें।
9. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र के आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् उसी आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियानेको विभाग, गांधीनगर/ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सक्रिल जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग छोको, नौरीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश का कार्यालय कूकर्काड़ दर दस्या करावें साथ ही आवंटी के घर कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाए।
12. श्रीमती गीता चौधरी, अपर जिला एवं सेवन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय क्रम सं 4, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्बलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करें।
13. रक्षित पत्रावली।

 21/12/21
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.20(1)साप्र / 2 / 18

जयपुर, दिनांक : ३२ DEC 2021

—: आदेश :—

श्री चन्द्रजीत सोलंकी, कानि. न0 4745, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.06.2046 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ॲफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या जी-791, गाँधीनगर, जयपुर का रिक्त होने की प्रत्याशा में निम्न शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३०

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ॲफ्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गाँधीनगर जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
- श्री चन्द्रजीत सोलंकी, कानि. न0 4745, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्बलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करें।
- निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

डिप्टी चीफ ॲफ्रोटोकॉल
21/12/21

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | नाम अधिकारी/कर्मचारी | |
| 2. | पिता/पति नाम | |
| 3. | वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण | |
| 4. | वैवाहिक स्थिति | |
| 5. | जन्म दिनांक | |
| 6. | सेवानिवृत्ति दिनांक | |
| 7. | ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID) | |
| 8. | आधार नंबर | |
| 9. | मोबाइल नंबर | |
| 10. | ई-मेल आई.डी. | |
| 11. | वर्तमान पता | |
| 12. | स्थायी पता | |
| 13. | नियुक्तिकर्ता विभाग | |
| 14. | पदस्थापन दिनांक | |
| 15. | डी.डी.ओ. कोड एवं नाम | |
| 16. | पे-मेट्रिक्स लेवल | |
| 17. | ग्रेड पे एवं बैसिक पे | |
| 18. | Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.) | |
| 19. | Employee Status (Probationer/ Permanent etc.) | |
| 20. | जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है। | |
| 21. | आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है। | |

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाइल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर